न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, RAS.
पत्रावली संख्या : 30/24 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2024/135

1. श्रीमती नाराणी पिता डालु जी पत्नि डालु जी जाति धोबी, आयु वयस्क, वजार निवासी मोही, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज०)।

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती शारदा पत्नि रामचन्द्र जी जाति धोबी, आयु वयस्क, निवासी ईन्द्रा कालोनी फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्रीमान रतन लाल पुत्र जीता जी जाति जटिया, आयु वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्रीमान जगदीशचन्द्र पुत्र उंकार लाल जी गर्ग जाति गुरु, आयु वयस्क, निवासी शिव मन्दिर के पास सनवाङ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती नर्बदा पत्नि बन्शीलाल जी डिडवानिया, जाति दर्जी, आयु वयस्क, निवासी नरसिंह मन्दिर के पास सनवाङ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. पटवारी, परवार हल्का सनवाड़ त. मावली जिला उदयपुर

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री भेरूलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 30.07.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा सनवाड़ पटवार हल्का सनवाड़ तहसील मावली जिला उदयपुर के खाता संख्या 1769 पर दर्ज आराजी नम्बर 664, 667, 668, 6785/659, 6787/663, 6789/666 किता 6 कुल रकबा 0.9630 हैक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थीया के नाम स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से दर्ज है तथा खाता संख्या 1768 पर दर्ज आराजी नम्बर 665 रकबा 0.0647 हैक्टर भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है उक्त वर्णित भूमि के पड़ौस में विपक्षी संख्या 2 से 4 की भूमि है। विपक्षीगण के साथ सीमा को लेकर विवाद [illegible] संभावनाएं बनी रहती है। अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध निम्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:57:44 IST
Reason: SelfAttested

आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि की सीमा की पत्थरगढ़ी कराई जाकर सीमाकंन कराया जावें तथा विपक्षी संख्या 1 से 4 को पाबन्द किया जावें कि वो मुझ प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, नुकसान नही पहुँचावे, वृक्ष नही काटे और हम सहखातेदारान को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देचे, इसमे किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावें। साथ ही हमारी खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी हमको दिलाया जावे ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी 5, 6 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना की कलम संख्या 1 परिशिष्ट ख में वर्णित भूमि सहखातेदारी हक की भूमि है तथा परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि प्रार्थी की तन्हा खातेदारी हक की भूमि है जिसमें विपक्षी संख्या 2 से 4 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रकरणग्रस्त भूमि के चारों दिशाओ का सिमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा सनवाड़ पटवार हल्का सनवाड़ तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 1769 पर दर्ज आराजी नम्बर 664, 667, 668, 6785/659, 6787/663, 6789/666 किता 6 कुल रकबा 0.9630 हैक्टर भूमि की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थीया के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। इसलिये प्रार्थीया को अपनी खातेदारी हक की आराजीयात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा भी बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित होकर कोई एतराज नही किया गया जिससे जाहीर होता है कि विपक्षी संख्या 1 से 4 को प्रार्थीया के नाम दर्ज भूमि की पत्थरगड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही है। खाता संख्या 1768 पर दर्ज आराजी नम्बर 665 रकबा 0.0647 हैक्टर भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है परन्तु उक्त भूमि कि किस्म आ.चा.कुआ है। अतः उक्त भूमि की पत्थरगड़ी करने का आदेश प्रदान करना उचित नही समझते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:57:44 IST
Reason: SelfAttested

4. अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा सनवाड़ पटवार हल्का सनवाड़ तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 1769 पर दर्ज आराजी नम्बर 664, 667, 668, 6785/659, 6787/663, 6789/666 किता 6 कुल रकबा 0.9630 हैक्टर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थीया मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:57:44 IST
Reason: SelfAttested